

यू. सुवेथा

बनाम

राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक और एक अन्य

2009 की आपराधिक अपील सं. 938

मई 06, 2009

(एस.बी. सिन्हा और आर.एम. लोढा, न्यायमूर्तिगण)

दंड संहिता, 1860 :

498-ए, स्पष्टीकरण - पति का 'रिश्तेदार' - का अर्थ - पति की प्रेमिका के विरुद्ध प्राथमिकी - अभिनिर्धारित: पति की प्रेमिका या रखैल 'रिश्तेदार' शब्द के अंतर्गत नहीं आएगी - 'रिश्तेदार' शब्द अपने दायरे में एक ऐसी स्थिति लाता है जो रक्त या विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा प्रदत्त होती है - यदि विवाह नहीं हुआ है, तो एक के दूसरे के रिश्तेदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कानूनों की व्याख्या:

दांडिक प्रावधान - अभिनिर्धारित: कठोर अर्थान्वयन का पात्र है।

शब्द और वाक्यांश:

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए में यथा प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'पति का रिश्तेदार' - का अर्थ

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दंडनीय अपराध के किए जाने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी अपीलकर्ता के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें उसे प्रथम सूचक के पति की 'प्रेमिका'/'रखैल' के रूप में वर्णित किया गया था। अपीलकर्ता ने साथ-साथ इस आधार पर आरोपमुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया कि प्राथमिकी में उसके विरुद्ध

लगाया गया आरोप, भले ही उसे *प्रथम दृष्टया* मान लिया जाए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत किसी अपराध को प्रकट नहीं करता है। आवेदन को खारिज कर दिया गया और साथ ही पुनरीक्षण याचिका को भी।

वर्तमान अपील में, न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अर्थ के अंतर्गत "किसी महिला के पति का रिश्तेदार" शब्द को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के संदर्भ में एक अपराध उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उन्हें 'पति' या उसका 'रिश्तेदार' होना चाहिए। या तो महिला के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा उसे इस प्रावधान के अंतर्गत क्रूरता का शिकार बनाया गया हो। एक प्रेमिका या यहाँ तक कि एक रखैल को 'रिश्तेदार' नहीं कहा जा सकता है। 'रिश्तेदार' शब्द अपने दायरे में एक ऐसी स्थिति लाता है जो या तो रक्त या विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा प्रदत्त होनी चाहिए। किसी भी वैधानिक परिभाषा के अभाव में, 'रिश्तेदार' शब्द को वह अर्थ दिया जाना चाहिए जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है। सामान्यतः इसमें किसी व्यक्ति के पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, भतीजा या भतीजी, पोता या पोती या किसी व्यक्ति का जीवनसाथी शामिल होगा। यदि विवाह नहीं हुआ है, तो एक के दूसरे के रिश्तेदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। विभिन्न निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, अपीलकर्ता प्रथम सूचक के पति की रिश्तेदार नहीं है। [कंडिका 11, 12, 18 और 21] [909-डी, एच; 914-ए; 916-एफ]

शिवचरण लाल वर्मा और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002 (2) क्राइम्स 177 एससी = जेटी (2002) 2 एससी 641; रजेती लक्ष्मी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1 (2007) डीएमसी 797; रंजना गोपालराव थोरात बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 आपराधिक एल.जे. 3866; जॉन इडिकुल्ला बनाम केरल राज्य 2005 एम.एल.जे. (आपराधिक) 841;

वंगराला येदुकोडलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1988 आपराधिक एल.जे. 1538; और रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम (2004) 3 एससीसी 199 - संदर्भित।

पी रामनाथ अय्यर द्वारा एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन- खंड 4, तीसरा संस्करण; और रैंडम हाउस वेबस्टर्स कंसाइज कॉलेज डिक्शनरी पृष्ठ 691 - संदर्भित।

2.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए का प्रावधान एक दांडिक प्रावधान है। अतः, यह कठोर अर्थान्वयन का पात्र है। सामान्यतः, सिवाय वहां जहां किसी कानून को एक प्रासंगिक अर्थ दिया जाना आवश्यक हो, एक दांडिक प्रावधान का कठोरता से अर्थान्वयन किया जाना आवश्यक है। [कंडिका 13] [911-एफ]

टी. अशोक पर्ई बनाम आयकर आयुक्त, बेंगलोर 2007 (8) स्केल 354; नूर आगा बनाम पंजाब राज्य 2008 (9) स्केल 681 - अवलम्बन।

2.2 'क्रूरता' शब्द को दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए के स्पष्टीकरण के संदर्भ में परिभाषित किए जाने के कारण, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। किसी अन्य महिला के साथ रहना न्यायिक अलगाव या विवाह के विघटन के प्रयोजन के लिए पति की ओर से क्रूरता का कृत्य हो सकता है लेकिन यह दंड संहिता की धारा 498 ए के प्रकोप को आकर्षित नहीं करेगा। [कंडिका 11] [909-सी]

2.3 वर्तमान मामले में, प्रथम सूचक के पति के साथ अपीलकर्ता का संबंध विवाह से पूर्व से ही विद्यमान होना कहा जाता है। निर्विवाद रूप से वे अलग-अलग रहते थे। सभी आशय और तात्पर्य के लिए पति भी एक अलग स्थान पर रह रहा था। कथित प्रताड़ना पति द्वारा प्रथम सूचक पर या तो उसके ससुराल में या उसके माता-पिता के स्थान पर दी गई बताई जाती है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता की उस संबंध में कोई भूमिका थी। [कंडिका 17] [913-जी-एच]

3. उच्च न्यायालय के निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार अपास्त किया जाता है। [कंडिका 22] [916-जी]

निर्णय विधि संदर्भ

1988 आपराधिक एल.जे. 1538	कंडिका 8	में संदर्भित
2007 (8) स्केल 354	कंडिका 13	में अवलम्बन
2008 (9) स्केल 681	कंडिका 13	में अवलम्बन
जेटी (2002) 2 एससी 641	कंडिका 14	में संदर्भित
(2004) 3 एससीसी 199	कंडिका 15	में संदर्भित
(2007) डीएमसी 797	कंडिका 19	में संदर्भित
2007 आपराधिक एल.जे. 3866	कंडिका 19	में संदर्भित
2005 एम.एल.जे. (आपराधिक) 841	कंडिका 20	में संदर्भित

दीवानी अपील्य क्षेत्राधिकार : 2009 की आपराधिक अपील सं. 938

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2008 के आपराधिक आर.सी. सं. 638 में पारित दिनांक 01.08.2008 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से ए. रमेश, आर. आनंद पद्मनाभन, प्रमोद दयाल।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अर्थ के अंतर्गत "किसी महिला के पति का रिश्तेदार" शब्द को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए, यह प्रश्न यहाँ अंतर्निहित है।

3. उत्तरदाता सं. 2 का विवाह 18 मई, 2005 को एक ट्यूटस गुनराज से हुआ था। कथित तौर पर, उसका अपीलकर्ता के साथ कुछ संबंध था। इसके बारे में पता चलने पर प्रथम सूचक ने अपने पति से इस बारे में पूछा। कथित तौर पर उसके साथ दुर्यवहार किया

गया। उसे उसके पति द्वारा कुड़डालोर में अपनी सास के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया था, जबकि वह शिवगंगई में अपने कार्यस्थल पर चला गया।

4. कथित तौर पर फिर से दहेज की मांग की गई, जिसके विवरण पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, हम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोपों के उस हिस्से पर ध्यान दे सकते हैं, जो हमारे प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है। यह इस प्रकार है :-

"भले ही मेरे पति को उचित परामर्श दिया गया, उन्होंने उक्त श्वेता के साथ अवैध संबंध नहीं तोड़े हैं। यदि मैं उसके बारे में बात करती हूँ, तो मेरे पति मुझे पीटते हैं और प्रताड़ित करते हैं। मेरी सास भी उन्हें दुष्प्रेरित कर रही हैं। यदि मेरे पति को वेतन मिलता था, तो वह उसे अपनी बुआ थंगम को दे देते थे, फिर जब भी आवश्यकता होती थी, उस समय वह अपने व्यय के लिए उससे धन ले लेते थे। भले ही मेरी सास मेरे पति की श्वेता के साथ अवैध अंतरंगता के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी, जानबूझकर मेरा विवाह उसके साथ कर दिया। उक्त प्रेमिका श्वेता का पता पिता- वेंका रामकृष्णन, सं. 167, मैजेस्टिक कॉलोनी वलसरवक्कम, अलवरतिरुनागर, चेन्नई-50 है, धन और आभूषण नहीं देने पर मेरे पति और मेरी सास ने मुझे विवाह-विच्छेद लेने के लिए विवश किया और प्रताड़ित किया। मैं इन सभी कठिनाइयों को सहन कर रही हूँ। वर्ष 2006 की दीपावली में मेरे पति ने मुझे बताया कि वह अपने मूल स्थान जा रहे हैं और मुझे मेरे माता-पिता के घर छोड़ दिया। अतः मेरे पिता ने 13.11.2006 को मेरे पति और मेरी सास को एक विधिक सूचना भेजी/जारी की, फिर भले ही समझौते की वार्ता हुई, लेकिन उक्त समझौता 12.1.07 को विफल हो गया। मेरे पति ने विवाह-विच्छेद के लिए याचिका दायर की। अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे परिवाद पर तत्काल कार्रवाई करें और मेरे वस्त्र तथा मेरी टीवी स्कूटी सं. टीएन05 सी 4971 पुनः दिलाएं। मेरे पति और मेरी सास ने वास्तविक

तथ्यों को छिपाया और मुझसे विवाह कर लिया तथा मेरा जीवन नष्ट कर दिया। अतः, मैं आपसे यह भी अनुरोध करती हूँ कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करें और उनके विरुद्ध वाद दर्ज करें तथा उन्हें विधि के अनुसार दंडित कराएं। मेरे पति और सास ने दहेज की मांग करके मुझे प्रताड़ित किया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मुझे अनुचित और असहनीय अपशब्द कहे हैं और मुझे कई बार पीटा है तथा मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अतः, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई की जाए और उन्हें दंडित किया जाए। मेरे पति की बुआ श्रीमती थंगम, उनका दामाद उथा, और उसकी रखैल श्वेता सभी मेरे पति और मेरी सास को मेरे साथ दुर्व्यवहार करने और प्रताड़ित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि वाद दायर करने के बाद उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करें और उन्हें विधि के अनुसार दंडित करें।"

5. साथ-साथ इस आधार पर कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाया गया आरोप, भले ही उसे प्रथम दृष्ट्या मान लिया जाए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत किसी अपराध को प्रकट नहीं करता है, उसके द्वारा आरोपमुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। इसे 25 मार्च, 2008 को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके विरुद्ध दायर किए गए एक पुनरीक्षण आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त, 2008 के आक्षेपित निर्णय के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है।

6. प्रथम सूचना प्रतिवेदन में केवल एक स्थान को छोड़कर प्रथम सूचक द्वारा अपीलकर्ता को उसके पति की 'प्रेमिका' के रूप में वर्णित किया गया है और केवल अंत में 'रखैल' शब्द का उपयोग किया गया है।

विचार के लिए उठने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के संदर्भ में 'प्रेमिका' 'किसी महिला के पति की रिश्तेदार' होगी। -

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए इस प्रकार है:-

"498-ए. किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसे क्रूरता का शिकार बनाना।

जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, ऐसी महिला को क्रूरता का शिकार बनाता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और वह अर्थदंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, "क्रूरता" का अर्थ है-

क) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो इस प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा होने की संभावना हो; या

(ख) महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से किया जाता है या उसके या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण होता है।"

7. उपर्युक्त प्रावधान को दांडिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम सं. 45) के कारण भारतीय दंड संहिता में अंतःस्थापित किया गया था। इसके उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है :-

"दहेज मृत्यु की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की कार्यप्रणाली का परीक्षण करने के लिए सदनों की संयुक्त समिति द्वारा इस बुराई की सीमा पर टिप्पणी की गई है। पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले, जिनका अंत संबंधित अभागी महिला द्वारा आत्महत्या या उसकी हत्या के रूप में होता है, ऐसी क्रूरता से जुड़े मामलों का केवल एक छोटा सा अंश हैं। अतः न केवल दहेज मृत्यु के मामलों से

बल्कि ससुराल वालों द्वारा विवाहित महिला के प्रति क्रूरता के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है।"

8. उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि 'प्रेमिका' और 'रखैल' शब्द समान स्तर पर हैं। उक्त विचार पर पहुँचने में, यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के वंगराला येदुकोंडलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [1988 आपराधिक एल.जे. 1538] के निर्णय से सहमत हुआ और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय से भिन्न मत व्यक्त करते हुए यह विचार व्यक्त किया :-

"भारतीय दंड संहिता में "रिश्तेदार" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और ऐसी किसी परिभाषा के अभाव में, हमें पूर्व-निर्णयों के अनुसार चलना होगा। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप अर्थात्, कि वह ए1 की रखैल है, सत्य हैं, तो, यह माना जाना चाहिए कि इस मामले में याचिकाकर्ता और ए1 के बीच सहजीवन का संबंध है और इस तथ्य के विशिष्ट आरोप हैं कि केवल पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के दुष्प्रेरण पर ही, ए1 दूसरे उत्तरदाता को प्रताड़ित कर रहा है और इस प्रकार इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अन्य अपराधों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत भी आरोप पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित रूप से विरचित किया गया है।"

9. भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के घटक हैं :-

क). महिला का विवाहित होना आवश्यक है

ख) उसे क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया हो; और

ग) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न या तो महिला के पति द्वारा या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा किया गया हो।"

10. यहाँ अपीलकर्ता पर किसी अपराध के दुष्प्रेरण का आरोप नहीं लगाया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों के बीच किसी षड्यंत्र का भी आरोप नहीं लगाया गया है। पूर्वोक्त प्रावधान के संदर्भ में किसी महिला को उसके पति और/या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया जाना चाहिए। 'क्रूरता' शब्द को इसके साथ संलग्न स्पष्टीकरण में भी परिभाषित किया गया है। यह दो भागों में है। उक्त स्पष्टीकरण का खंड (ए) एक ऐसे आचरण को संदर्भित करता है जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा होने की संभावना हो; खंड (बी) महिला के उत्पीड़न का प्रावधान करता है, जहां ऐसा उत्पीड़न, उसे या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से किया जाता है।

यह प्रथम सूचक का वाद नहीं है कि दहेज की मांग के संबंध में अपीलकर्ता की कोई भूमिका थी।

11. 'क्रूरता' शब्द को पूर्वोक्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में परिभाषित किए जाने के कारण, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। किसी अन्य महिला के साथ रहना न्यायिक अलगाव या विवाह के विघटन के प्रयोजन के लिए पति की ओर से क्रूरता का कृत्य हो सकता है लेकिन यह, हमारे मत में, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के प्रकोप को आकर्षित नहीं करेगा।

उक्त प्रावधान के संदर्भ में एक अपराध उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। उन्हें 'पति' या उसका 'रिश्तेदार' होना चाहिए। या तो महिला के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा उसे पूर्वोक्त प्रावधान के अंतर्गत क्रूरता का शिकार बनाया गया हो।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचक के पति को उसे प्रताड़ित करने के लिए नहीं उकसा रही थी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है, तो पति भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध कर रहा होगा और अपीलकर्ता को ऐसे

अपराध के किए जाने के दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया जा सकता है लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत किसी अपराध के लिए नहीं।

12. किसी भी वैधानिक परिभाषा के अभाव में, 'रिश्तेदार' शब्द को वह अर्थ दिया जाना चाहिए जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है। सामान्यतः इसमें किसी व्यक्ति के पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, भतीजा या भतीजी, पोता या पोती या किसी व्यक्ति का जीवनसाथी शामिल होगा। 'रिश्तेदार' शब्द का अर्थ कानून की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसमें मुख्य रूप से रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित व्यक्ति शामिल है।

'रिश्तेदार' शब्द को पी. रामनाथ अय्यर एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन - खंड 4, तीसरे संस्करण में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:--

"रिश्तेदार, "रिश्तेदार" में रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है। [पागलपन अधिनियम]।

अभिव्यक्ति "रिश्तेदार" का अर्थ है पति पत्नी, पूर्वज, वंशज, भाई या बहन। [संपदा शुल्क अधिनियम]।

मृतक के संबंध में "रिश्तेदार" का अर्थ है,

क) मृतक की पत्नी या पति;

ख) मृतक के पिता, माता, बच्चे, चाचा और चाची, और

ग) पूर्ववर्ती उप-खंडों में से किसी के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति की कोई संतान और ऐसे किसी व्यक्ति या संतान के साथ विवाह का दूसरा पक्ष [संपदा शुल्क अधिनियम]।

एक व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार माना जाएगा यदि, और केवल तभी, -

क) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं, या

ख) वे पति और पत्नी हैं; या

ग) एक दूसरे से अनुसूची 1-ए में निर्दिष्ट तरीके से संबंधित है [कंपनी अधिनियम, 1956]।

किसी व्यक्ति के संबंध में "रिश्तेदार" का अर्थ है -

ए) व्यक्ति की माता, पिता, पति या पत्नी, या

बी) व्यक्ति का पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, भतीजा या भतीजी, या

सी) व्यक्ति का पोता या पोती, या

डी) उप-खंड (बी) में संदर्भित किसी भी व्यक्ति का जीवनसाथी [आयकर अधिनियम]।

"रिश्तेदार" का अर्थ है-

1. व्यक्ति का जीवनसाथी ;
2. व्यक्ति का भाई या बहन ;
3. व्यक्ति के जीवनसाथी का भाई या बहन;
4. व्यक्ति का कोई पूर्वज या वंशज;
5. व्यक्ति के जीवनसाथी का कोई पूर्वज या वंशज;

[मादक द्रव्य और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम]।

रैंडम हाउस वेबस्टर्स कंसाइज कॉलेज डिक्शनरी पृष्ठ 691 पर 'रिश्तेदार' को इस प्रकार परिभाषित करती है :-

"रिश्तेदार सं. 1. वह व्यक्ति जो रक्त या विवाह द्वारा किसी अन्य या अन्यो से जुड़ा हो। 2. ऐसी वस्तु जिसका किसी अन्य वस्तु से कोई संबंध हो या संबंध रखता हो। 3. अपनी विशिष्ट प्रकृति, आकार आदि के लिए बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर रहने वाली कोई वस्तु (निरपेक्ष के विपरीत)। 4. एक संबंधवाचक सर्वनाम, विशेषण, या क्रियाविशेषण। - विशेषण 5. किसी अन्य वस्तु के संबंध में विचार किया गया; तुलनात्मक: गैस और इलेक्ट्रिक हीटिंग के सापेक्ष (तुलनात्मक) गुण। 6. केवल किसी अन्य वस्तु के संबंध में विद्यमान या अपनी विशिष्ट प्रकृति रखने वाला; निरपेक्ष या

स्वतंत्र नहीं: खुशी सापेक्ष है। 7. संबंध या जुड़ाव रखने वाला। 8. संदर्भ रखने वाला: प्रासंगिक; संगत (सामान्यतः जिसके बाद 'से' प्रयुक्त होता है): मामले से संबंधित दो तथ्य। 9. अनुरूप; आनुपातिक: 10. सार्थकता के लिए किसी अन्य वस्तु पर निर्भर: "बेहतर " एक सापेक्ष शब्द है। 11. किसी ऐसे शब्द का या उसे निर्दिष्ट करने वाला जो एक आश्रित उपवाक्य का परिचय देता है और मुख्य उपवाक्य के किसी व्यक्ति या निहित तत्व को संदर्भित करता है: संबंधवाचक सर्वनाम 'जिसने' जैसे "वह महिला थी जिसने बुलाया था।" 12. (संगीत के स्वरग्राम का) किसी अन्य स्वरग्राम के समान ही स्वर-चिह्न वाला: एक सापेक्ष लघु स्वरग्राम।"

13. इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान एक दांडिक प्रावधान है। अतः, यह कठोर अर्थान्वयन का पात्र है। सामान्यतः, सिवाय वहां जहां किसी कानून को एक प्रासंगिक अर्थ दिया जाना आवश्यक हो, एक दांडिक प्रावधान का कठोरता से अर्थान्वयन किया जाना आवश्यक है।

इस न्यायालय ने *टी. अशोक पर्ई बनाम आयकर आयुक्त, बेंगलोर*, [2007 (8) स्केल 354] में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

"19. अब यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कानून जितना अधिक कठोर होगा, उसका उतना ही कठोर अर्थान्वयन आवश्यक होगा। यहाँ तक कि जब किसी निर्धारिती द्वारा भार वहन किया जाना आवश्यक हो, तो यह अभियोजन जितना भारी नहीं होगा। [देखें पी.एन. कृष्ण लाल और अन्य बनाम केरल सरकार और एक अन्य 1995 सप्प (2) एससीसी 187]। "

[यह भी देखें नूर आगा बनाम पंजाब राज्य, [2008 (9) स्केल 681]।

14. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने, हालाँकि, *शिवचरण लाल वर्मा और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, [2002 (2) क्राइम्स 177 एससी = जेटी (2002) 2 एससी 641] में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए की व्याख्या करते हुए, एक वाद में

जहाँ अभियोजन ने आरोप लगाया कि पहली पत्नी-कालिंदी के जीवनकाल के दौरान, उसमें अपीलकर्ता ने दूसरी बार मोहिनी से विवाह किया, लेकिन विवाह के पश्चात् कालिंदी और शिव चरण दोनों ने मोहिनी को प्रताड़ित किया, जिसके परिणामस्वरूप, अंततः उसने स्वयं को जलाकर आत्महत्या कर ली, यह विचार व्यक्त किया :-.

" .. पहला, क्या धारा 498-ए के अंतर्गत अभियोजन को बिल्कुल भी आकर्षित किया जा सकता है क्योंकि मोहिनी के साथ विवाह ही अकृत और शून्य था, जो कालिंदी के जीवनकाल के दौरान संपन्न हुआ था। दूसरा, क्या यह मानने के लिए किसी सकारात्मक सामग्री के अभाव में धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्धि को बिल्कुल भी बनाए रखा जा सकता है कि मोहिनी ने शिव चरण या कालिंदी में से किसी की ओर से किसी सकारात्मक कृत्य के कारण आत्महत्या की थी। जहाँ तक धारा 498-ए के अंतर्गत दोषसिद्धि का संबंध है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री खंडूजा के तर्क में पर्याप्त बल हो सकता है, क्योंकि कालिंदी के साथ वैध विवाह के अस्तित्व के दौरान मोहिनी के साथ कथित विवाह अकृत और शून्य है। अतः, हम भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं।"

15. इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने, हालाँकि, *रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम*, [(2004) 3 एससीसी 199] में, 'पति' अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि इस शब्द को उन लोगों को शामिल करने के लिए एक सीमित अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए, जिन्होंने विधि के अनुसार कड़ाई से दूसरी बार विवाह किया था, यह कहते हुए :-

" ... यदि ऐसा सीमित अर्थ दिया जाता है, तो यह विधायी आशय को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके विपरीत, यह विवाह के संबंध में धन की मांग पर किसी महिला के उत्पीड़न से बचने के लिए विधायिका द्वारा दिखाई गई चिंता के विरुद्ध होगा। धारा

494 के प्रथम अपवाद की भी कुछ प्रासंगिकता है। इसके अनुसार, द्विविवाह का अपराध "किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो"। अभिव्यक्ति "पति" का अर्थान्वयन ऐसे व्यक्ति को शामिल करने के लिए करना उचित होगा जो वैवाहिक संबंध में प्रवेश करता है और पति की ऐसी घोषित या दिखावटी स्थिति की आड़ में संबंधित महिला को क्रूरता का शिकार बनाता है या उसे किसी भी तरीके से या प्रासंगिक प्रावधानों - धाराओं 304-बी/498-ए में परिगणित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए विवश करता है, चाहे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498-ए और 304-बी के सीमित प्रयोजन के लिए विवाह की वैधता कुछ भी हो। ऐसी व्याख्या, जिसे सोद्देश्य अर्थान्वयन के रूप में जाना और पहचाना जाता है, इस प्रकृति के वाद में लागू होनी चाहिए। "पति" के रूप में अपनी भूमिका और स्थिति के कथित प्रयोग में, विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने के लिए "पति" की परिभाषा का अभाव, जो दिखावटी रूप से विवाह करते हैं और ऐसी महिला के साथ सहवास करते हैं, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी या 498-ए के दायरे से बाहर करने का कोई आधार नहीं है, जिसे उन प्रावधानों को प्रस्तुत करने वाले विधानों के मूल उद्देश्य और लक्ष्य के संदर्भ में देखा जाता है।"

16. इस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या रीना अग्रवाल (उपरोक्त) का सही निर्णय लिया गया था या नहीं क्योंकि हम यहाँ ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर रहे हैं। हम यह मान लेंगे कि 'पति' शब्द अपने दायरे में उस व्यक्ति को लाएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने किसी अन्य महिला के साथ विवाह किया है और उसे क्रूरता का शिकार बनाया है।

17. यहाँ, जैसा कि पूर्व में ध्यान दिया गया है, प्रथम सूचक के पति के साथ अपीलकर्ता का संबंध विवाह से पूर्व से ही विद्यमान होना कहा जाता है। निर्विवाद रूप से वे अलग-अलग रहते थे। सभी आशय और तात्पर्य के लिए पति भी एक अलग स्थान पर रह रहा था। कथित प्रताड़ना पति द्वारा प्रथम सूचक पर या तो उसके ससुराल में या उसके माता-पिता के स्थान पर दी गई बताई जाती है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता की उस संबंध में कोई भूमिका थी।

18. किसी भी कल्पना से एक प्रेमिका या यहाँ तक कि एक रखैल व्युत्पत्ति के अर्थ में 'रिश्तेदार' नहीं होगी। 'रिश्तेदार' शब्द अपने दायरे में एक स्थिति लाता है। ऐसी स्थिति या तो रक्त या विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा प्रदत्त होनी चाहिए। यदि विवाह नहीं हुआ है, तो एक के दूसरे के रिश्तेदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

19. हम यह ध्यान दे सकते हैं कि *रजेती लक्ष्मी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*, [1 (2007) डीएमसी 797] में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"4. आरोप-पत्र और एल.डब्ल्यू. 1 से 7 के बयानों को पूरा पढ़ने से पता चलता है कि यह अभियुक्त या अभियोजन किसी का भी वाद नहीं है कि ए-6 एल.डब्ल्यू. 1 के पति की रिश्तेदार है। वह केवल ए-1 की रखैल है और उसके साथ अवैध अंतरंगता रखती है। अतः, आरोप-पत्र में किसी भी प्रकथन या किसी भी बयान के अभाव में कि वह ए-1 की रिश्तेदार है, मेरा यह मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध ए-6 को आकर्षित नहीं करता है। शब्दकोश के अर्थ के अनुसार भी "रिश्तेदार" का अर्थ है वह व्यक्ति जो रक्त या विवाह से जुड़ा हो या 'एक प्रजाति' जो समान उत्पत्ति द्वारा दूसरे से संबंधित हो"। केवल इसलिए कि ए-6 की ए-1 के साथ अवैध अंतरंगता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह ए-1 की रिश्तेदार है। तदनुसार, याचिकाकर्ता, ए-6 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध के लिए सी.सी. सं. 233 वर्ष 2004 में कार्यवाहियों को निरस्त करते

हुए आपराधिक याचिका स्वीकार की जाती है। जहाँ तक अन्य अपराधों का संबंध है, यह जारी रह सकता है।"

बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने, स्वप्नजा बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य, [21.4.2008 को निर्णीत 2008 का आपराधिक आवेदन सं. 388] में, यह विचार व्यक्त किया :-

" यह मानते हुए भी कि उत्तरदाता सं. 2 के पति के साथ उसके विवाहेतर संबंध के कारण, उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ दुर्यवहार किया जा रहा है या उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है, तो भी यह कहना कठिन है कि आवेदक भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए जवाबदेह है। क्योंकि, वह उत्तरदाता सं. 2 के पति से संबंधित नहीं है और न ही उसे ए ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के स्पष्टीकरण (ए) या (बी) के अंतर्गत आ सकती है।"

इसी तरह का प्रभाव उसी उच्च न्यायालय द्वारा *रंजना गोपालराव थोरात बनाम महाराष्ट्र राज्य*, [2007 आपराधिक एल.जे. 3866] में निर्धारित विधि का है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने, हालाँकि, *रीना अग्रवाल* (उपरोक्त) की तुलना में *शिवचरण लाल वर्मा* (उपरोक्त) का अनुसरण करना उचित समझा, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि पूर्व-निर्णय के रूप में पूर्ववर्ती उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी है, यह कहते हुए :-

"अतः शिवचरण लाल वर्मा (उपरोक्त) में निर्णय स्पष्ट रूप से रीमा अग्रवाल (उपरोक्त) के निर्णय पर प्राथमिकता लेगा। ऐसी स्थिति होने पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करना होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के प्रावधान आकर्षित नहीं होंगे क्योंकि मोहित गुप्ता और शालिनी के बीच विवाह अकृत और शून्य था तथा मोहित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा

498-ए के प्रयोजनों के लिए 'पति' के रूप में नहीं माना जा सकता है। अतः, स्पष्ट रूप से, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत आरोप विरचित नहीं किया जा सकता है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत कोई भी आरोप विरचित करने से सही ढंग से इनकार किया था।"

उसी उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा *कैप्टन राजिंदर तिवारी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)*, [14.12.2006 को निर्णीत 2006 की आपराधिक पुनरीक्षण पी. सं. 872] में समान विचार लिया गया था, जिसमें कहा गया है:

"9. जैसा कि ऊपर पहले ही इंगित किया जा चुका है, जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत आरोप का संबंध है, वह विषय अब वाद-विवाद के लिए खुला नहीं है। शिवचरण लाल वर्मा (उपरोक्त) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए मोहित गुप्ता और अन्य (उपरोक्त) के वाद में इस न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया है। चूँकि राजिंदर की पहली पत्नी के संबंध में विवाह-विच्छेद की कार्यवाहियों के लंबित होने के दृष्टिगत राजिंदर और मीनाक्षी के बीच विवाह अकृत था, धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध, जो "पति" के लिए विशिष्ट है, पोषणीय नहीं होगा, अतः, आक्षेपित आदेश को इस आधार पर भी सुधारे जाने की आवश्यकता है।"

20. हम, हालाँकि, इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने *जॉन इडिकुल्ला बनाम केरल राज्य*, [2005 एम.एल.जे. (आपराधिक) 841] में *रीमा अग्रवाल* (उपरोक्त) पर अवलम्बन करते हुए "दूसरी पत्नी" शब्द को एक व्यापक अर्थ दिया है ताकि यह अभिनिर्धारित किया जा सके :-

"25. भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत परीक्षण यह है कि क्या प्रत्येक वाद के तथ्यों में, यह संभावित है कि एक महिला को मित्रों, रिश्तेदारों, पति या समाज द्वारा "पत्नी" या केवल "रखैल" के रूप में माना जाता है। यदि

अभिवचनों और साक्ष्य से न्यायालय यह पाता है कि संबंधित महिला को पत्नी माना जाता है और केवल रखैल नहीं, तो उसे 'पत्नी' और परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के प्रयोजन के लिए 'पति की रिश्तेदार' माना जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के लिए दीवानी विधि के अंतर्गत अपेक्षित कठोर अर्थ में विधिक विवाह का प्रमाण अनावश्यक है। "विवाह" या "रिश्तेदार" अभिव्यक्ति को केवल एक , हल्का अर्थ दिया जा सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति या समाज सामान्य बोलचाल में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के प्रयोजन के लिए उन अवधारणाओं को प्रदान कर सकता है। एक दूसरी पत्नी जिसे पति, रिश्तेदारों, मित्रों या समाज द्वारा पत्नी के रूप में माना जाता है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के प्रयोजन के लिए 'पति की रिश्तेदार' माना जा सकता है। यदि वह पति की विधिपूर्वक विवाहित पत्नी पर क्रूरता करती है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध उसके विरुद्ध नहीं बनेगा।"

21. ऊपर संदर्भित विभिन्न निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता प्रथम सूचक के पति की रिश्तेदार नहीं है।

22. पूर्वोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

आर.पी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।